□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 3279
12 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□ि□□ □□□□□□□

3279. श्री वी॰के॰ श्रीकंदनः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □त्री□ यहबताने को कृपा करगे किः

(क) क्या देश म तपेदिक के अनुमानित 2.74 मिलियन नए मामलों म से लगभग दो-तिहाई मामलों का उपचार निजी क्षेत्र के अस्पतालों म हो रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण ह;

(ख) क्या निजी क्षेत्र द्वारा तपेदिक मामलों के सिफ 35 प्रतिशत मामलों का उपचार उचित तरीके से किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले म हस्तक्षेप करने तथा निजी क्षेत्र के अस्पतालों म तपेदिक का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□□ □□□)□

(क): जी, नहों। वष 2018 म भारत म सावजनिक क्षेत्र से 16 लाख तथा निजी क्षेत्र से 542,390 क्षय रोगी संसूचित किए गए ह।

(ख): निजी क्षेत्र म उपचार कराने वाले क्षय रोगियों को संख्या कम है। वष 2018 म निजी क्षेत्र म वष 2017 के दौरान संसूचित क्षय रोगियों म से 42 प्रतिशत ने उपचार कराया। तथापि, वष 2016 को तुलना म उपचार के परिणामों म 25 प्रतिशत को वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ): सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा क्षय रोगियों के बेहतर उपचार को सुनिश्चित करने हेतु निम्न उपायों का कायान्वयन किया जा रहा ह:

- स्वास्थ्य परिचया प्रदाता के सभी क्षेत्रों म एकोकृत मानकों को सुनिश्चित करने हेतु भारत म क्षय रोग परिचया हेतु मानक।
- यह कायक्रम औषधियोंतथा डाइग्नोसिस के उचित उपयोग का संवधन करता है।
- औषधि नियंत्रक के समन्वय से अनुसूची एच1 प्रवतन का सुदृढ़ीकरण किया गया है।
- मानक नैदानिक तथा उपचार म निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षित तथा संवेदनशील करने हेतु भारतीय चिकित्सा एसोशिएशन के समन्वय से प्रशिक्षण कायक्रम चलाए गए।
- क्षय रोगियों के उपचार को पूरा करने म सहयोग हेतु रोगी प्रदाता सहयोगी एजसी (पीपीएसए) कायकलापों का कायान्वयन किया गया है। कवरेज म सुधार हेतु वतमान वित्तीय वष म इन क्रियाकलापों का आगे विस्तार किया गया है।

.....